

FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम- 26)

अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

वादी / वादीगण	बनाम	प्रतिवादी / प्रतिवादीगण
1 राजसिंह उर्फ राजुसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (2)		1 पहाड़सिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (6) 7 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

किरम मुकदमा.....धारा 88,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:-116/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.09.2024	वादी राजसिंह उर्फ राजुसिंह की ओर से वकील श्री नेहपालसिंह ने यह वाद पत्र प्रतिवादी पहाड़सिंह वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.11.2024 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
18.11.24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश करे। सम्मन पेश करने पर जारी होकर पत्रावली आईदा 26.12.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर! (S.D.O) सिवाना	
26.12.24	पत्रावली आज पेश हुई। कार एवोसिपलन द्वारा रेफरेंस रखा गया है। अतः इलाका होकर पत्रावली आईदा 20.02.25 को पेश हो।	
20.02.25	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीछासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में ब्यवस्ते है। इलाका होकर पत्रावली दिनांक 28.02.25 को पेश हो।	
28-02-25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादीगण वकील अनुपस्थित। आज न्यायालय सत्र में वादीगण व उनके वकील को तीन-तीन बार आवाज दिलवाई गई, मगर उनमें से कोई उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा वादीगण का वाद, वादीगण व उनके वकील के अफस हाजरी व अफस पत्रकी में स्वारीज किया जाता है। पत्रावली केवल इमार घेउर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर! (S.D.O) सिवाना	

